

10
कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सिरसा।

हिसार रोड़ बाई-पास, सिरसा। टेलिफोन नम्बर 01666-243307

Email:- forest_sirsa@yahoo.com

दिनांक 19/03/25

क्रमांक 8309
सेवा में,

परामर्शदाता (न्यायिक),
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रधान न्यायपीठ,
नई दिल्ली - 110001।

विषय: Original Application No. 995/2024 Sanjay S/o Kailash Chand vs State of
Haryana केस में दिए गए आदेश की अनुपालना रिपोर्ट।
संदर्भ: आपके कार्यालय का ई-मेल दिनांक 11.11.2024।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपकी सेवा में अवगत करवाया जाता है कि उक्त केस में दिनांक 23.10.2024 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली द्वारा दिए गए आदेश अनुसार गांव बरासरी में पंचायत भूमि से एक बकैन का वृक्ष काटने के आरोप में ग्राम पंचायत, बरासरी द्वारा श्री औमप्रकाश पुत्र श्री ख्याली राम निवासी गांव बरासरी से रू0 1172/- का मुआवजा व जुर्माना रसीद सं0 04 दिनांक 27.02.2024 (प्रति संलग्न) तथा श्री सोनू पुत्र श्री निहाल सिंह निवासी गांव बरासरी से रू0 500/- का जुर्माना रसीद सं0 05 दिनांक 27.02.2024 (प्रति संलग्न) द्वारा वसूल करके सरकारी खजाने में जमा करवाकर रसीद खण्ड एवं पंचायत अधिकारी, नाथूसरी चौपटा कार्यालय में जमा करवा दी गई है। अतः उक्त केस की अनुपालना रिपोर्ट आपकी सेवा में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न/उपरोक्त


वन मण्डल अधिकारी,
सिरसा।

12 काम IV

बुक संख्या

12

फार्म IV
रसीद

बुक संख्या

12

क्रम संख्या

05

तिथि.....

1. पंचायत का नाम.....

बराशरी

पुत्र 2. फौजदारी/दीवानी मामले की क्रम संख्या.....

3. अदायगी की तिथि.....

27/2/2024

4. अदायगी करने वाले व्यक्ति का नाम.....

मोहम्मद अली खान बराशरी

पुत्र श्री.....

मोहम्मद अली खान बराशरी

	रु०	पै०
1. शुल्क	500	-
2. जुर्माने		
3. कर		
4. मुआवजा		
5. ऐच्छिक		
6. सरकार या स्थानीय निकायों से अनुदान		
7. सरपंच		
ग्राम पंचायत, बराशरी	500	-
ब्रिज ना. चौपटा (सिरसा)		

पंचायत का हस्ताक्षर